



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार

14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

ईमेल : cehydelpcl@gmail.com

फैक्स : 0522-2288655

संख्या-

-अनु०-2/मु०अ०(हा०)/2022

दिनांक : /12/2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा यथासंशोधित उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति नियमावली-1975 के विनियम-2(क) के साथ पठित परिषदाज्ञा संख्या-5008-जी०ई०सं०/राविप-जीएम-10(25)एच/1975 दिनांक 25-09-1975 द्वारा अंगीकृत शासनादेश संख्या-जी-2-956/एक्स/534/19/1975, दिनांक 22-05-1975, पत्र संख्या-800-काविनी-29/पाकालि/2006-13-काविनी/1988 दिनांक 20-12-2006 एवं पत्र संख्या-320-काविनी-29/पाकालि/2008-13-काविनी/88 दिनांक 03-04-08 के तहत अधोनामित कारपोरेशन सेवकों (अवर अभियन्ताओं) को उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने की तिथि से मास के अन्तिम दिन अर्थात् उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित तिथि के अपरान्ह से सेवा-निवृत्ति हो जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान की जाती है:-

क्र०	वरिष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	सेवानिवृत्ति डिस्काम/खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CEHC/494	शिव प्रकाश बाजपेई	स्व० राम स्वरूप बाजपेई	कानपुर देहात	03.12.1962	31.12.2022	वि०वि०खण्ड, बेहट, सहारनपुर पविनिनिलि०, मेरठ
2	CEHC/609	प्रेम शंकर लाल श्रीवास्तव	हरिकेश लाल श्रीवास्तव	आजमगढ़	01.01.1963	31.12.2022	वि०वि०ख०-द्वितीय, अमरोहा, पविनिनिलि०, मेरठ
3	CEHC/300	योगेश कुमार मिश्रा	राम कुमार	कानपुर नगर	06.02.1963	28.02.2023	वि०वि०ख०-चित्रकूट, दविनिनिलि०, आगरा
4	CEHC/354	रमेश कुमार	स्व० फकीर शर्मा	वाराणसी	06.04.1963	30.04.2023	वि०वि०ख०, गोमती नगर लखनऊ मविनिनिलि०, लखनऊ
5	CEHC/499	मेवा लाल विश्वकर्मा	सीताराम	कानपुर	16.06.1963	30.06.2023	वि०वि०ख०-तिलहर, बरेली, मविनिनिलि०, लखनऊ
6	CEHC/887	अनिल कुमार मिश्रा	विश्वनाथ मिश्रा	सीतापुर	01.07.1963	30.06.2023	वि०न०वि०ख०-तृतीय, नोएडा, पविनिनिलि०, मेरठ
7	CEHC/1247	श्याम नारायण त्रिपाठी	राम देव त्रिपाठी	गोण्डा	01.07.1963	30.06.2023	वि०न०वि०ख०-द्वितीय, नोएडा, पविनिनिलि०, मेरठ
8	CEHC/663	रामेश्वर	स्व० राम उज्जर यादव	सुल्तानपुर	01.07.1963	30.06.2023	वि०वि०ख०-तृतीय, आजमगढ़, पूविनिनिलि, वाराणसी
9	CEHC/715	दिनेश चन्द्र पन्त	धर्मानन्द पन्त	पिथौरागढ़	01.07.1963	30.06.2023	वि०वि०ख०-प्रथम मिर्जापुर पूविनिनिलि, वाराणसी

उपरोक्त आदेश उक्त अवर अभियन्ताओं की सेवा-निवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि से पूर्व कभी भी सेवा-निवृत्ति किया जा सकता है। किसी कारणवश यदि किसी अवर अभियन्ताओं का नाम उक्त सूची में सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके अवर अभियन्ताओं का यह दायित्व होगा कि वह बिना किसी अग्रेत्तर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवा-निवृत्ति/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवा-निवृत्ति तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पडती है तो वास्तविक सही तिथि को सेवा-निवृत्ति होना स्वयं कार्मिक की विधिक जिम्मेदारी होगी।

जिन अवर अभियन्ताओं की यदि पूर्व में मृत्यु हो गयी हो तथा सूचना इस कार्यालय में प्राप्त न हो पायी हो, ऐसी स्थिति में यह सेवा-निवृत्ति आदेश उन पर प्रभावी नहीं होंगे।

जिन अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हो गयी है तथा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उन पर भी यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

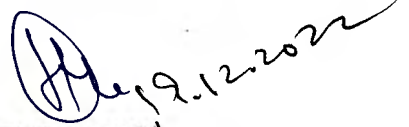
जिन उपरोक्त अवर अभियन्ताओं के पिता का नाम, वरिष्ठता क्रमांक, गृह जनपद आदि अंकित नहीं है उनसे सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे उनकी सेवा-पुस्तिका के आधार पर इनके पिता का नाम एवं गृह जनपद आदि को अंकित कर ले।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या-2833-अ-2/तददिनांक 19.12.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी/आगरा/मेरठ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल
3. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड.....
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब) शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त पत्र (सी0डी0 संलग्न) को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर शीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. प्रशासनिक अधिकारी (पेंशन) को 04 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. कार्यालय अधीक्षक-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पेंशन।
7. कट फाइल


(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक-षष्ठम
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)